

हरियाणा सरकार ने 10 गाँवों को मिलाकर नई नगर परषिद, पटौदी-मंडी बनाने की घोषणा की चर्चा में क्यों?

14 अगस्त, 2022 को हरियाणा सरकार ने पटौदी नगर पालिका तथा हेलीमंडी नगर पालिका (राजस्व संपदा जाटौली) तथा आसपास के 10 गाँवों को मिलाकर नगर परषिद, पटौदी-मंडी बनाने की घोषणा की है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- जारी अधिसूचना के अनुसार गाँव नरहेड़ा, जनौला, रामपुर, छावन, मलिकपुर, मरिजापुर, मुबारकपुर, देवलावास, हेड़ाहेड़ी तथा खानपुर इस नए नगर परषिद, पटौदी-मंडी का हस्सिा होंगे।
- पटौदी-मंडी नगर परषिद बनाने पर पटौदी के वधियक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि आखरिका आजादी के 75 वर्ष बाद गुलामी के प्रतीक हेली शब्द से मुक्त मिली है। लोगों का कहना था कि हेली एक अंग्रेज गवरनर था। उसके नाम से नगर का नाम उचित नहीं है। अब नए नगर परषिद का गठन होने से यह वविाद समाप्त हो गया है।
- नई सीमाओं की जानकारी उत्तर-बदि 'ए' जो कनिगरपालिका, हेलीमंडी (राजस्व संपदा जाटौली), ग्राम लुहारी तथा फरीदपुर का त्रमिलिन है, से आरंभ होकर पूरव की तरफ नगरपालिका हेलीमंडी (राजस्व संपदा जाटौली) की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम फरीदपुर, महचाना तथा खंडेवला की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'बी' तक होगी जो कनिगरपालिका, हेलीमंडी, ग्राम खंडेवला तथा रामपुर की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- इसके उपरांत बदि 'बी' से पूरव दक्षिण की तरफ ग्राम रामपुर की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम खंडेवला, जाटौला तथा जोड़ी की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'सी' तक होगी जो कनिगरपालिका, रामपुर, जोड़ी तथा जनौला की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- बदि 'सी' से पूरव की तरफ ग्राम जनौला की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम जोड़ी तथा घोषगढ़ की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'डी' तक होगी जो कनिगरपालिका, घोषगढ़ तथा नरहेड़ा की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- बदि 'डी' से पूरव की तरफ ग्राम नरहेड़ा की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम घोषगढ़ तथा नरहेड़ा की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'ई' तक होगी जो कनिगरपालिका, नरहेड़ा, घोषगढ़ और भौड़ा कला की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- पूरव-बदि 'ई' से दक्षिण की तरफ ग्राम नरहेड़ा की पूरव सीमा के साथ तथा ग्राम भौड़ाकला तथा ऊँचा माजरा की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'एफ' तक होगी जो कनिगरपालिका, नरहेड़ा, ऊँचा माजरा तथा बाँस पदमका की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- बदि 'एफ' से पश्चिम की तरफ ग्राम नरहेड़ा की दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम बाँस पदमका, बडि खुरद की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'जी' तक जो कनिगरपालिका, नरहेड़ा, बडि खुरद तथा नगरपालिका, पटौदी की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- बदि 'जी' से दक्षिण की तरफ नगरपालिका, पटौदी की पूरव सीमा के साथ तथा ग्राम बडि खुरद तथा बाँस पदमका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'एच' तक जो कनिगरपालिका पटौदी, ग्राम बाँस पदमका तथा मुमताजपुर की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- दक्षिण-बदि 'एच' से पश्चिम उत्तर की तरफ नगरपालिका, पटौदी की दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम मुमताजपुर तथा लोहाका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'आई' तक जो कनिगरपालिका पटौदी, ग्राम लोहाका तथा हेड़ाहेड़ी की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- बदि 'आई' से दक्षिण की तरफ ग्राम हेड़ाहेड़ी के पूरव-दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम लोहाका, मुमताजपुर तथा हाँसाका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'जे' तक जो कनिगरपालिका, खानपुर तथा हाँसाका की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- बदि 'जे' से दक्षिण-पश्चिम की तरफ ग्राम खानपुर की पूरव-पश्चिम सीमाओं के साथ तथा ग्राम हाँसाका, नानूकलां, गोरयावास तथा खोड़ की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'के' तक जो कनिगरपालिका, हेड़ाहेड़ी, खानपुर तथा खोड़ की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- पश्चिम-बदि 'के' से पश्चिम की ओर ग्राम हेड़ाहेड़ी तथा नगरपालिका, पटौदी की दक्षिण सीमाओं के साथ ग्राम खोड़ की राजस्व सीमा के साथ-साथ बदि 'एल' तक जो कनिगरपालिका, पटौदी, ग्राम छावन तथा खोड़ की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- बदि 'एल' से पश्चिम की तरफ ग्राम छावन के दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम खोड़ तथा रणसिका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'एम' तक जो कनिगरपालिका, छावन रणसिका तथा मलिकपुर की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- बदि 'एम' से उत्तर की तरफ ग्राम मलिकपुर की पश्चिम सीमा के साथ तथा ग्राम रणसिका, इँछापुरी तथा शाहपुरजाट की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'एन' तक जो कनिगरपालिका, शाहपुरजाट तथा नगरपालिका हेलीमंडी (राजस्व संपदा जाटौली) की राजस्व सीमाओं का त्रमिलिन है।
- बदि 'एन' से उत्तर की तरफ नगरपालिका हेलीमंडी की पश्चिम सीमा के साथ तथा ग्राम शाहपुरजाट, मुजफरा, राजपुरा, लुहारी की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बदि 'ए' तक जो कनिगरपालिका बदि है।

